कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल याचिका संख्या 20452/2019 अमित गर्ग बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम स्थगनादेश दिनांकः 03.12.2019 जारी किया गया था जिसकी अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 13.12.2019 द्वारा श्री अमित गर्ग, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य (राउमावि बिशनगढ, शाहपुरा जिला जयपुर से राउमावि भगतपुरा जिला बांसवाड़ा) को माननीय न्यायालय के याचिका में पारित आगामी/अन्तिम निर्णयाधीन राउमावि बिशनगढ, शाहपुरा जिला जयपुर में पूर्ववत पदस्थापित रखा गया था।

सिविल रिट पिटीशन संख्या 20452/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 23.01.2020 द्वारा याचिका को अन्तिम रूप से खारिज कर दिये जाने एवं विभागीय आदेश दिनांकः 29.09.2019 के याचिकार्थी श्री अमित गर्ग एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या–3 श्री सूणा राम यादव के सम्बन्ध में पुनः प्रभावी हो जाने की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए श्री अमित गर्ग, प्रधानाचार्य को उक्त आदेश की अनुपालना में कार्यमुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि भगतपुरा जिला बांसवाड़ा में कार्यग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

निजी प्रत्यर्थी संख्या–3, श्री सूणाराम यादव (एपीओ उपरान्त पदस्थापन स्थान–राउमावि खातीखेडा जिला चित्तौडगढ) को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिशनगढ, शाहपुरा जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पुनः पदस्थापित किया जाता है। सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं को शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–17 के अन्तर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एसबीसिया/अमित गर्ग/20452/2019 दिनांकः 29/01/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/उदयपुर संभाग, जयपुर/उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/बांसवाडा।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/बांसवाडा।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यो को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)